



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12022025-260921
CG-DL-W-12022025-260921

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 02]

नई दिल्ली, फरवरी 2—फरवरी 8, 2025, शनिवार /माघ 13—माघ 19, 1946

No. 02]

NEW DELHI, FEBRUARY 2—FEBRUARY 8, 2025, SATURDAY /MAGHA 13—MAGHA 19, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

[भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय]

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 6.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों (वरिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2000, को उन बातों के सिवाय, अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों, गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालय, वरिष्ठ अनुवादक (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है; विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ अनुवादक	15*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु. 44900-142400)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेनन द्वारा /तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेनन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेनन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	(i) 67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रु) में कनिष्ठ

	<p>(ii) 33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p>अनुवादक के ग्रेड में, जिसने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा आयोजित प्रासंगिक क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।</p> <p>टिप्पण : जहाँ कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, से अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से कम न हों और अपने ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रुपये 35400-112400) में स्तर -6 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की है; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात् : (i) क. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि; या</p> <p>ख . किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की उपाधि; या</p> <p>ग . किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि; या</p> <p>घ. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि; या</p> <p>ड. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि; और</p>
--	---	---

		<p>(ii). हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1- फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जिनकी प्रोन्नति आसन्न है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त कर्मचारी प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत के महारजिस्ट्रार, - अध्यक्ष; 2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार या निदेशक या उप सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, - सदस्य; 3. अवर सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. ए-51011/2/2023-प्रशा.व]

एस. एन. शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Office of The Registrar General, India]

New Delhi, the 27th January, 2025

G.S.R. 6.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Senior Translator) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of

recruitment to the post of Senior Translator in the Office of the Registrar General, India as well as the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union territories, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India and Offices of the Directors of Census Operations in States and Union territories, Senior Translator (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification.- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Translator.	15* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.

	filled by various methods.	
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	<p>(i) Sixty-seven per cent. by promotion, failing which by deputation; and</p> <p>(ii) Thirty-three per cent. by deputation.</p>	<p>Promotion:</p> <p>From amongst Junior Translators in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade and having successfully completed the training of four weeks in the relevant field organised by Office of the Registrar General India.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>(i) A. Master's degree from a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>B. Master's degree from a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>C. Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or</p> <p>D. Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or</p> <p>E. Master's degree from a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and</p> <p>(ii) recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in the Central Government or State Governments office, including Government of India undertaking.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>

		<p>Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar General, India -Chairman; 2. Additional Registrar General, India or Director or Deputy Secretary, Office of the Registrar General, India -Member; 3. Under Secretary, Office of the Registrar General, India -Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not required.</p>

[F. No. A 51011/2/2023-Ad.V]

S. N. SHARMA, Director

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

[पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग]

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 7.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, निदेशक (पर्यटन और उद्योग) भर्ती नियम, 2022 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में निदेशक (पर्यटन और उद्योग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, निदेशक (पर्यटन और उद्योग) भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति –
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है